

15-06-23 अभिलेख उपस्थापित किया गया।

धारा-7 का नोटिस पुनः निर्गत करें।  
अध्याची विभाग से वाद का अद्यतन स्थिति  
का प्रतिवेदन प्राप्त करें दिनांक 19/07/2023 को रखें।  
8

19-07-23

अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार को धारा  
7 का नोटिस <sup>भेजा गया था</sup> एवं अध्याची विभाग से वाद का  
अद्यतन स्थिति का तामिल प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
पिठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। वाद में  
धारा 7 का तामिल प्रतिवेदन प्राप्त। अगली तिथि

07-09-23

04-04 अभिलेख उपस्थापित। प्रमोडबीय आयुक्त सिंहभद्र (कोरुण)  
प्रमोडल चाईबासा का पत्रांक-1327 दिनांक-06.11.2023  
द्वारा शक्ति प्राप्त हुआ है। शाखा प्रबंधक केरा बैंक  
राजनगर के पत्रांक-MISC/01/120223 दिनांक-02.12.2023  
द्वारा सूचित किया गया है कि देनदार श्री अविनाश  
गिरी का लोन खाना निपटारे के बाद बंद कर दिया  
गया है।  
अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती  
है।

18/04/24  
श्री. सु. उपसमा.  
- सह -  
नीलाग्र पत्र पदा.